न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 37/2022

भवंरलाल पुत्र पूर्णराम जाति बैरागी निवासी सूरतगढ (फौत), जरिये वारिसान :–
1. श्रीमती सीमा देवी पत्नी भवंरलाल जाति बैरागी (स्वामी), निवासी वार्ड न. 11 कल्याण भूमि के सामने सूरतगढ
2. मनोज कुमार पुत्र भवंरलाल जाति बैरागी (स्वामी), निवासी वार्ड न. 11 कल्याण भूमि के सामने सूरतगढ
3. दीपक स्वामी पुत्र भवंरलाल जाति बैरागी (स्वामी), निवासी वार्ड न. 11 कल्याण भूमि के सामने सूरतगढ
4. सुमित स्वामी पुत्र भवंरलाल जाति बैरागी (स्वामी), निवासी वार्ड न. 11 कल्याण भूमि के सामने सूरतगढ

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधी तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांक: 30.03.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ के निर्णय दिनांक 09.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांट के पति व पिता के नाम से रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 487/4 में 4.769 है0 टीसी आवंटित रकबा नगरपालिका क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 अपीलांट को बिना सुने, बिना विधिवत सूचना जारी कर तामील करवाये एकतरफा तौर पर मिसल के मूल रिकार्ड, विधि विरूद्व और प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायायल ने उक्त आदेश जारी कर अपीलांट के 30 वर्ष पुरानें टी. सी.आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत दिनांक 15.7.1982 को अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर लगातार नवीनीकरण होता रहा। आवंटी का दिनांक 03.6.2021 को स्वर्गवास होने के पश्चात अपीलांटस जो कि आवंटी की पत्नी व पुत्रगण है उनका इस भूमि पर विरास्तन कब्जा काश्त लगातार आज तक मौका पर चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व आवंटी को नियमानुसार तामील करवाये बिना ही एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2005 को अपीलांट के पति व पिता के नाम से नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील बाबत जारी किया गया लेकिन उसका अंकन पत्रावली की फर्द अहकाम पर किया ही नहीं किया गया। इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से करवाये बिना ही मकान बंद बताकर बिना मकान पर चस्पांदगी के आदेश पारित किये, मकान पर चस्पांदगी की तामील के आदेश पारित किये बिना ही नियम विरूद्व तामील बताकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकतरफा आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट्स उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। आवंटी भंवरलाल का दिनांक 03.6.2021 को स्वर्गवास हो गया था जिसके अपीलांट्स नियमानुसार वारिस है जो कि विरास्तन उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट्स द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अपने पति व पिता के उक्त टीसी रकबा की खातेदारी लेने बाबत जब कार्यवाही प्रारम्भ की गई तब दिनांक 02.02.2022 को अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकरी हुई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है व जैरअपील रकबा पर अपीलांट काबिज है अतः प्रकरण में अपीलांट्स हितबद्व है। अतः अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 09.6.2006 निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये व पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 पारित कर, अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 30 वर्ष पुरानें टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2005 को अपीलांट के पति व पिता के नाम से नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील बाबत जारी किया गया लेकिन उसका अंकन पत्रावली की फर्द अहकाम पर किया ही नहीं किया गया। इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से करवाये बिना ही, मकान बंद बताकर बिना मकान पर चस्पांदगी के आदेश पारित किये, मकान पर चस्पांदगी की तामील नियम विरूद्व बताकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकतरफा आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के पति व पिता का उक्त टी.सी. आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा आवंटी भवंरलाल के जीवनकाल में आवंटी का उसके फौत हो जाने के पश्चात अपीलांटस का कब्जा बदस्तूर बना रहा है। अपीलांटस ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफेरी में होने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका की परिधि में होने से वें खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन खारिज करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (i) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 09.06.2006 खारिज किया करने बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट्स आवंटी भंवरलाल के जायज वारिसान है तथा जैरअपील रकबा पर विरास्तन बतौर वारिस काबिज है। आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक मौका पर कब्जा काश्त आवंटी का और उसके पश्चात वारिसान अपीलांट्स का कब्जा चला आ रहा है। आवंटी के नाम से व्यक्तिगत रूप से नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है लेकिन इसे जारी किये जाने के आदेश आदेशिका पर अंकित ही नहीं है। इस व्यक्तिगत नोटिस की तामील मकान चस्पांदगी के आदेशों के बिना, मकान पर चस्पा कर बिना किसी साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानी गई है। जबकि तामील के संबंध में आदेश 5 सीपीसी व रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल पार्ट II से प्रकिया बताई गई जो कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

आज्ञात्मक प्रावधान है जिसकी पालना किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही कयासों से आदेश पारित किये है जो कि कतई न्याय संगत एवं प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातो के भी विपरीत है। दशकों वर्षो से काबिज होकर सुधारी हुई आवंटी की भूमि पर अपीलांट्स बतौर वारिस के मौका पर काबिज है। इनके प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का कोई जवाब व काऊंटर शपथ पत्र द्वारा खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में कोई आपत्ति पेश की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का रेस्पोडेंट ने कोई विरोध जवाब प्रार्थना पत्र व प्रतिशपथ पत्र और मौखिक रूप से नहीं किया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित और संतोषजनक प्रतीत होता है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने के प्रावधान है। अपीलांट्स द्वारा भी अपनी अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। प्रा0पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास ना किये जाने का कोई कारण भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 487/4 की 4.769 है0 बारानी भूमि भवंरलाल पुत्र पूर्णराम को टी.सी. आवंटन होकर संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट्स के पति व पिता के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I)रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117 तथा आरबीजे 2013 पेज 226 व आरआरटी 2017 पार्ट–1 पेज 125 (एचसी) का अवलोकन किया गया जिनमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने टीसी निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को ना होकर जिला कलक्टर को होना माना है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का टीसी आवंटन तहसीलदार सूरतगढ़ ने निरस्त किया है, जो पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है, इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा मिसल संख्या 161/2006 अनवान सरकार बनाम भवंरलाल में दिनांक 09.06.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)